पत्रांकः–BMSIC/80010/12-2016/ दिनांकः–

प्रेषक,

संदीप कुमार
उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

सेवा में,

M/s B.M. Construction
Old Electricity Colony,
Jehanabad-804408.

विषयः– अरवल जिलान्तर्गत कलेर में बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण कार्य में विलंब के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका– 11 क (ii) के प्रावधान के तहत आपके फर्म का निबंधन को निलंबित करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांकः–BMSIC/80010/12-2016/5042 दिनांकः–21.01.2019 एवं पत्रांकः– 4348 दिनांकः– 24.10.2019 तथा समय–समय पर कार्यस्थल के निरीक्षण के समय पदाधिकारियों द्वारा दिये गए निदेश।

महाशय,

इस कार्यालय के पत्रांकः –BMSIC/80010/12-2016/2582 दिनांकः– 16.10.2017 के माध्यम से **अरवल जिलान्तर्गत कलेर में बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन** का कार्यादेश निर्गत किया गया, जिसकी कंडिका 5 के अनुसार विषयांकित कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 12 माह अर्थात दिनांक– 15.10.2018 तक दी गई थी, परंतु 25 माह बीत जाने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा लगभग 75–80 % मात्र हीं कार्य कराया गया है। उक्त कार्य के प्रति आपकी अभिरूची एवं कार्य सम्पादन हेतु उपयोगी संसाधनो की कमी के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी पाई गई। आपको विषयांकित कार्य में समानुपातिक प्रगति लाने हेतु अनेकों बार निदेशित किया जा चुका है, परंतु आपके द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लाते हुए कार्य पूर्ण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। कार्य में प्रगति नही पाये जाने के कारण **पत्रांकः– BMSIC/80010/12-2016/4348 दिनांकः– 24.10.2019** के माध्यम से आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, लेकिन आपके द्वारा अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। पर्यवेक्षण परामर्शी के द्वारा भी सूचित किया जा रहा है कार्य की प्रगति काफी धीमी है एवं कार्य में प्रगति लाने हेतु अभी तक आपके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो अत्यंत हीं खेदजनक है एवं कार्य के प्रति आपकी घोर लापरवाही को दर्शाता है।

उक्त के आलोक में निगम द्वारा समेकित विचारोपरांत **अरवल जिलान्तर्गत कलेर में बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन** का शेष बचे कार्य को पूर्ण करने तक **बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका– 11 क (ii) के आलोक में आपके फर्म के निबंधन को विषयांकित कार्य पूर्ण होने तक निलंबित** करते हुए आपको किसी भी कार्य की निविदा में भाग लेने से डिवार (Debar) किया जाता है। साथ हीं निदेश दिया जाता है कि कार्य में प्रगति लाते हुए कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके फर्म के विरूद्ध नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक– BMSIC/80010/12-2016/ दिनांकः–

प्रतिलिपि– पर्यवेक्षण परामर्शी शिवा कंसलटेन्सी सर्विसेज प्रा0 लि0, दिल्ली को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित संवेदक से संपर्क स्थापित कर विषयांकित परियोजना जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
उपमहाप्रबंधक (परियोजना)
(कृ0पृ0उ0)

ज्ञापांक– BMSIC/80010/12-2016/ 5203 दिनांकः– 03-12-2019

प्रतिलिपि– श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के बेवासाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

3/12/19

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)